

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक
पीठासीन अधिकारी-

मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर
56/2021/प्रा.पत्र/2021

तारीख दायरा
08.07.2021

तारीख निर्णय
25.08.2021

मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
टोंक

..... प्रार्थी

बनाम

1-श्री राजेन्द्र जैन पुत्र स्व० श्री राधाकिशन जैन पार्टनर मैसर्स श्री अमित ऑयल्स एच-184
-191,आईआईडी सेन्टर,निवाई जिला टोंक निवासी वार्ड नं० 15 जैन कॉलोनी झिलाय वालो
का बाग निवाई जिला टोंक

..... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011
उपस्थित-

- 1-प्रार्थी की ओर से श्री मदनलाल गूर्जर, खा०सु०अ० स्वयं।
- 2-अप्रार्थी उपस्थित

:-निर्णय:-

दिनांक 25.08.2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 01.06.2021 को समय 12.54 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स श्री अमित ऑयल्स एच-184-191,आईआईडी सेन्टर,निवाई जिला टोंक पर पहुंचा। विक्रेता की हैसियत से राजेन्द्र जैन पुत्र स्व० श्री राधाकिशन जैन पार्टनर मैसर्स श्री अमित ऑयल्स एच-184-191,आईआईडी सेन्टर,निवाई जिला टोंक निवासी वार्ड नं० 15 जैन कॉलोनी झिलाय वालो का बाग निवाई जिला टोंक खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का पार्टनर होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना जाहिर किया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु गोदाम मे कच्ची घाणी सरसों तेल गोमतेश्वर बाहुबली ब्राण्ड (Kachi Ghani Mustard Oil Gomteshwar Bahubali Brand) जिसके बैच नं० 02 एवं पैकिंग की दिनांक मार्च 2021 अंकित थी, रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर. विक्रेता श्री राजेन्द्र जैन को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना कय करने हेतु नोटिस



1232

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता राजेन्द्र जैन एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा गोदाम में रखी 30 नग बोतल पैक कागज के 50 कार्टून में से कागज के एक कार्टून को खुलकर कच्ची घाणी सरसों तेल गोमतेश्वर बाहुबली ब्राण्ड (Kachi Ghani Mustard Oil Gomtेश्वर Bahubali Brand) रखे हुये में से 455-455 ग्राम के 4 नग बोतल पैक कुल 1820 ग्राम को ज्यो का त्यो साफ प्रिन्टेड वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत विक्रेता. श्री राजेन्द्र जैन को रू0 300/-अक्षरे तीन सौ रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा कच्ची घाणी सरसों तेल गोमतेश्वर बाहुबली ब्राण्ड (Kachi Ghani Mustard Oil Gomtेश्वर Bahubali Brand) 455-455 ग्राम के 4 नग बोतल पैक में से एक-एक नग के नियमानुसार चार भाग कर तैयार कर एवं चारो नमूना भागो के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर व लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक I-2862 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग-अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I-2862 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता. राजेन्द्र जैन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2021/2091 दिनांक 16.06.2021 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/640/एक्ट/2021/674 दिनांक 08.06.2021 अनुसार राजेन्द्र जैन से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया कच्ची घाणी सरसों तेल गोमतेश्वर बाहुबली ब्राण्ड (Kachi Ghani Mustard Oil Gomtेश्वर Bahubali Brand) खाद्य सुरक्षा एवं मानक



1233

मतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(i) (zf) (c) (j) के अनुसार मिथ्याछाप (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा मिथ्याछाप (Mis-branded) स्तर का कच्ची घाणी सरसों तेल गोमतेश्वर बाहुबली ब्राण्ड (Kachi Ghani Mustard Oil Gomtेश्वर Bahubali Brand) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस कच्ची घाणी सरसों तेल गोमतेश्वर बाहुबली ब्राण्ड (Kachi Ghani Mustard Oil Gomtेश्वर Bahubali Brand) का विक्रय कर रहा था वह जांच में मिथ्याछाप (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया कच्ची घाणी सरसों तेल गोमतेश्वर बाहुबली ब्राण्ड (Kachi Ghani Mustard Oil Gomtेश्वर Bahubali Brand) का नमूना जांच में मिथ्याछाप (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री राजेन्द्र जैन पुत्र स्व० श्री राधाकिशन जैन पार्टनर मैसर्स श्री अमित ऑयल्स एच-184-191,आईआईडी सेन्टर,निवाई जिला टोंक निवासी वार्ड नं० 15 जैन कॉलोनी झिलाय वालो का बाग निवाई जिला टोंक पर शास्ति 13,000 (अक्षरे तेरह हजार रू०) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 25.08.2021 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.08.2021 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



(मुरारी लाल शर्मा)
न्याय निपेक्षक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक-राज०